न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी–श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 314 / 2021

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1.जसकी पत्नि बालाराम 2. बालाराम पुत्र पोकरराम जाति पालीवाल निवासी भाण्डियावास तहसील पचपदरा व जिला बाड़मेर		1.चतुरभुज पुत्र आसुराम जाति पालीवाल निवासी भाण्डियावास तह.पचपदरा 2.जयप्रकाश गोयल पुत्र रामकिशोर गोर जाति अग्रवाल निवासी अग्रवाल कॉलो बालोतरा व तहसील पचपदरा 3.ओमाराम पुत्र आसुराम जाति पालीव निवासी भाण्डियावास तह.पचपदरा 4.विकास सोनी पुत्र पुखराज जाति सो निवासी थोब तहसील पचपदरा 5.धनाराम पुत्र मिसराराम जाति भील निवासी मण्डापुरा तहसील पचपदरा 6.मिसराराम पुत्र गुलाबराम जाति भील निवासी मण्डापुरा तह.पचदरा 7.दिशादेवी पत्नि धनाराम जाति जाट निवासी मण्डापुरा तह.पचपदरा 8.प्रेमप्रकाश पुत्र गिरधारीराम जाति जाट निवासी बालोतरा व तहसील पचपदरा 9.छगनलाल पुत्र गिरधारीराम जाति जाट निवासी बालोतरा तह.पचपदरा 10.रमेश गोदारा पुत्र गिरधारीराम जाति जाट निवासी बालोतरा तह.पचपदरा 11.गुमनाराम पुत्र आदाराम जाति जाट 12.[illegible] निवासी ऋ[illegible]थ स[illegible] के पास, गांधीपुरा बालोतरा [illegible] तहसील पचपदरा 13.लिखमाराम [illegible] दुर्गाराम जाट निवासी,हिमताणियों भांभुओं की

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2022.12.21 18:08:55 IST
Reason: SelfAttested

5.12.2021

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

ढाणी, भाण्डियावास तहसील पचपदरा

14.पूनमाराम पुत्र भैराराम जाति जाट

निवासी भाणा मगरा,करना

तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

15.राजस्थान राज्य जरियें भूमिधारक

तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री अचलाराम थोरी. अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2.श्री रतनलाल चौधरी,श्री पूनमाराम चौधरी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 11 व 12 की ओर से उपस्थित।

3.विप्रार्थी संख्या 1 से 10 व 13 से 15 एकतरफा।

आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

दिनांक 05/12/2022

1.संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण ने न्यायालय में प्रकरण धारा 111,128 आर.एल.आर. एक्ट के तहत इस आशंय का प्रस्तुत किया कि, प्रार्थीगण के खातेदारी, कब्जा काश्त की भूमि खसरा संख्या 856/1 रकबा 16–00 बीघा ग्राम हिमताणियों भांभुओं की ढाणी पटवार क्षेत्र कुड़ी में आयी हुई हैं,विप्रार्थीगण 01 से 14 सेढा पड़ोसियान हैं,जो प्रार्थीगण की भूमि को अवैध व अनुचित तरीके से सीमा सेड़ों का विवाद कर जबरन दबा कर हड़प करना चाहते हैं,इस कारण खेत की सीमाओं को लेकर विवाद होता हैं,इस हेतु सहमति से विवाद निस्तारण का निवेदन प्रार्थीगण ने विप्रार्थीगण से किया, किन्तु विप्रार्थीगण ने इस बाबत् कोई कार्यवाही नहीं की,तब प्रार्थीगण ने श्रीमान तहसीलदार साहब से सीमाज्ञान का आदेश दिनांक 29.11.2021 को प्राप्त कर मौके पर सीमाज्ञान करवाया, किन्तु उससे भी विप्रार्थीगण संतुष्ट नहीं हुए,मौके पर विवाद कायम रखा, इसलिए उक्त भूमि का नक्शा आइ...किल बिन्दु से कर पत्थरगढी करवाना आवश्यक हुआ,इस हेतु वर्तमान आवेदन पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2022.12.21 18:08:55 IST
Reason: SelfAttested

2.प्रार्थीगण का प्रार्थन पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया,विप्रार्थी संख्या 11 व 12 की ओर से जवाब इस आशय का पेश किया कि,प्रार्थीगण ने वास्तविक तथ्यों को छिपा कर न्यायालय को मुगालते में रख कर वर्तमान प्रकरण पेश किया

5.12.2022

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थीगण ने तत्कालीन पटवारी से मिलावट कर साजिश कर पूर्व में की गई तरमीम को बिना आदेश के बदला गया हैं,तहसीलदार का सीमाज्ञान आदेश विधि के अनुकूल नहीं हैं, प्रार्थीगण नक्शे में की गई अवैध तरमीम की आड़ में हम विप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर हड़प करना चाहते हैं,इस सम्बन्ध में राजस्व विविध प्रकरण सं. 153/2013 का प्रकरण विचाराधीन हैं,ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज किया जावें।

3.उक्त प्रकरण में दिनांक 27.12.2021 को अस्थाई नेखम बंदी के आदेश पारित किये, तदोपरान्त दिनांक 07.01.2022 को नेखमबंदी पुख्ता करने का आदेश पारित किया, इसी दरमियान इस बाबत् माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर एंव पदेन भू-अभिलेख निदेशक के समक्ष राजस्व अपील संख्या 32/2022 अनवान गुमनाराम बनाम चतुर्भज वगैरा वर्तमान प्रकरण के विप्रार्थी गुमनाराम, दीपाराम,छगनलाल द्वारा अपील पेश हुई,जिसमें दिनांक 07.02.2022 को अपील में अपील निर्णय करते हुए यह आदेश पारित किया कि, "अतः उपरोक्त विवेचन एवं विशलेषण के परिणाम स्वरूप अपील, अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया कि,उपरोक्त ऑर्ब्जेवेशन को मध्यनजर रखते हुए अर्थात धारा 136 रा.भू.रा. अधिनियम के तहत विचाराधीन प्रकरण की वस्तुस्थिति पत्रावली पर ली जाकर पूर्ववर्ती आदेश दिनांक 27.12.2021 के अनुसार की हुई क्रियान्विती का परीक्षण कर ऑर्ब्जेवेशन अनुसार अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्टान को अपना पक्ष/साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत करने एवं उन्हे सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरांत अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से एक माह की अवधि में यथोचित आदेश पारित करें।

4.उक्त आदेश के विरूद्ध श्री गुमनाराम,दीपाराम,छगनलाल द्वारा राजस्व अपील संख्या 103/2022/बाड़मेर पेश हुई,जिसका निर्णय दिनांक 29.09.2022 को पारित हुआ, जिसमें निगरानी को आंशिक स्वीकार करते हुए विद्वान संभागीय आयुक्त जोधपुर के निर्णय दिनांक 07.02.2022 में केवल यह संशोधन किया कि, निर्णय दिनांक 27.12.2021 निरस्त किया गया, माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर के निर्णय दिनांक 07.02.2022 का शेष भाग यथावत रखा गया । तदोपरान्त उक्त प्रकरण अपीलीय न्यायालयों के निर्णयों की पालना में दिनांक 04.11.2022 को पुनः नम्बर पर ली गई।

5.उभय पक्षकारान को अपीलीय न्यायालयों के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में [illegible] बहस [illegible] गई। बहस पर मनन पश्चात पाया कि वकील विप्रार्थी का मुख्य आधार धारा [illegible] का प्रकरण विचाराधीन रहा था ही हैं, धारा 131, 136 के प्रकरण का निस्तारण जुदागाना पत्रावली में हो चुका हैं,जुदागाना पत्रावली के निर्णय अनुसार वर्तमान प्रकरण के विप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं होने से खारिज किया जा चुका है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2022.12.21 18:08:55 IST
Reason: SelfAttested

5.12.2022
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

की स्थिति में रेकर्डेड खातेदार टीनेन्ट को अपनी भूमि की सीमा का ज्ञान करने एवं ऐसी भूमि की सीमाओं पर सीमा चिन्ह/पत्थरगढ़ी के जरिये पक्की सीमा कायम करने का अधिकार प्राप्त हैं,ऐसा करने से पक्षकारान के बीच जो विवाद ही समाप्त नहीं होता हैं,बल्कि खातेदार टीनेन्ट को अपने विधिक खातेदारी की भूमि का बिना किसी दखल/हस्तक्षेंप के उपयोग करने का अधिकार भी मिलता हैं। वर्तमान प्रकरण में प्रार्थीगण ,ने जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसकी पालना में मौके पर सीमाज्ञान नाप पत्थरगढी की गई,की फर्दो के अवलोकन से यह तथ्य सामने आता हैं, कि विप्रार्थीगण अपने खातेदारी का रकबा जो जमाबंदी में दर्ज हैं, से अधिक रकबे पर कब्जा अपने लाठी बल व संख्या बल को माध्यम बना कर करना चाहते हैं, जिसकी विधि के अन्तर्गत कोई अनुमति नहीं हैं,कोई भी खातेदार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी खतौनी एवं नक्शा में खतौनी के रकबे के अनुपात में दर्ज तरमीम कब्जा काश्त कायम कर सकता हैं,यदि किसी व्यक्ति द्वारा शक्तिशाली प्रास्थिति का प्रयोग कर किसी खातेदार टीनेन्ट की भूमि की परिधि पर कोई अतिचार कर ऐसे अतिचार को वैध कृत्य करार देने हेतु विधिक कार्यवाही को विचाराधीन रखना चाहता हैं,तो उसे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, यही विधि की मंशा हैं ।

6.अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं, इस बाबत् पारित आदेश दिनांक 27.12.2021 दिनांक 07.01.2022 को पारित किये गये आदेश व उक्त आदेशों की पालना पर मौके पर की गई पत्थरगढी की कार्यवाही (नाप, सीमा ज्ञान) फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 29.12.2021, 30.12.2021, 31.01.2022 के सम्बन्ध में की गई कार्यवाहीं में कोई संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं, पूर्व आदेशों,क्रियान्विति को यथावत रखा जाता हैं ।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

आदेश आज दिनांक 05.12.2022 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी बालोतरा (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2022.12.21 18:08:55 IST
Reason: SelfAttested